संक्षिप्त पर महत्वपूर्ण

स्वयंसेवी शिक्षकों द्वारा असाक्षरों को किया जा रहा है साक्षर

स्वदेश पंडरिया कवर्धा - : उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मोहतरा खुर्द पंचायत के आश्रित ग्राम सिरमाडबरी के साक्षरता केंद्रों में 15 वर्ष से अधिक उम्र के असाक्षरों को शत प्रतिशत साक्षर बनाने के लिए स्वयं सेवी शिक्षिकाओं गायत्री साहू, करिश्मा साहू, निखिल निर्मलकार द्वारा कक्षा का संचालन किया जा रहा है ।विकासखंड पंडरिया के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल सोमनापुर नया के प्राचार्य का अनुकरणीय पहल साक्षरता अभियान के लिए असाक्षरों को साक्षर करने के लिए स्वयं सेवी शिक्षक बनाने विद्यार्थियो का चिन्हांकन किया गया था ।10 असाक्षरों को साक्षर करने पर बोर्ड की परीक्षा में ऐसे स्वयं सेवी शिक्षक विद्यार्थियों को 10 बोनस अंक मिलेंगे ।9 वी से 12 वी तक अध्ययनरत अधिक से अधिक विद्यार्थियों को स्वयं सेवी शिक्षक के रुप में पंजीयन के लिए प्रोत्साहित किया था। जिसमें विद्यार्थियो ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं ।प्राचार्य ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश व संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकाश लक्ष्य के अनुसार 2030 तक सभी युवा प्रौढ़ पुरुष व महिलाओ को शत प्रतिशत बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान प्रदान करना है ।इस अनुकरणीय पहल के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी एम के गुप्ता, विकासखंड परियोजना अधिकारी शत्रुघ्न प्रसाद डड़सेना , शिक्षिका ज्योति ध्रुव, ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों ने प्रसन्नता व्यक्त की।

श्री दिगंबर जैन श्री शांतिनाथ जिनालय सदर रोड अखिलेश अध्यक्ष

नवापारा राजिम। नगर श्री दिगंबर जैन श्री शांतिनाथ जिनालय सदर रोड में संरक्षक रमेश पहाड़िया की उपस्थिति में अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ , जिसमें अखिलेश जैन को अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित घोषित किया गया था ,इसके पश्चात आज ब्रह्मचारी पंकज भैया के उपस्थिति में समाज के सभी लोग निर्माणाधीन वर्णी भवन एकत्रित हुए जहां समाज के विशेष सलाहकार अभय चौधरी निर्मल नाहर, अशोक गंगवाल एवं किशोर सिंघई ने अध्यक्ष अखिलेश जैन की सहमति से कमेटी का अंतिम प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें सर्व सहमति से उपाध्यक्ष- अनिल जैन(डब्बू), सचिव आशीष चौधरी (गोलू) , सहसचिव -आकाश गंगवाल , कोषाध्यक्ष- आशीष जैन रिंकु एवं सांस्कृतिक सचिव- रवि जैन, सा. सह सचिव- अतुल सिंघई को सर्व सहमति से चुना गया, इस अवसर पर ब्रह्मचारी भैया पंकज जैन की उपस्थिति में सभी पदाधिकारी को पद की शपथ दिलाई गई।

खेत से सौर ऊर्जा मोटर का कंट्रोलर चोरी

महासमुंद। खेत से सौर ऊर्जा मोटर के कंट्रोलर चोरी के मामले में तेंदूकोना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि ठाकुर ठाकुरदिया कला निवासी देवनाथ के खेत में लगे सौर उर्जा मोटर का कंट्रोलर 26-27 नवंबर के बीच अज्ञात ने पार कर दी।

विधायक जन चौपाल में अधिकारियों को लेकर ग्रामीणों की शिकायत

विधायक चातुरी नंद ने सुनी की समस्याएं, तत्काल निराकरण के निर्देश

स्वदेश संवाददाता, सरायपाली

सरायपाली विधायक चातुरी नंद ने हर सोमवार की भांति इस सोमवार भी जन चौपाल लगाकर क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही विभागीय अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से समस्याओं के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। जन चौपाल में तोरेसिंहा की लक्ष्मी कुमार ने पैर के ऑपरेशन हेतु आर्थिक सहायता का अनुरोध किया जिसके इलाज हेतु विधायक नंद ने डॉक्टरों से दूरभाष पर चर्चा कर निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जन संपर्क निधि से भी आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने का आश्वासन दिया।

टेंगनापाली की रेखा कटार ने विधायक नंद से जमीन विवाद सम्बंधित मामले के निराकरण में तेजी लाने का अनुरोध किया जिस पर मौके पर ही विधायक ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को यथाशीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। इसी तरह कसलबा निवासी रमेश ने दिव्यांग पेंशन दिलाने और राशन कार्ड बनवाने का आग्रह किया जिस पर सम्बंधित अधिकारियों को जल्द पेंशन दिलाने के लिए निर्देश प्रदान किया। ग्राम खपरी डीह के विद्याचरण थापा ने आवास योजना का लाभ दिलाने की गुहार विधायक नंद से लगाई। विधायक नंद ने उनकी आवेदन पर नियमानुसार आवास दिलाने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए।

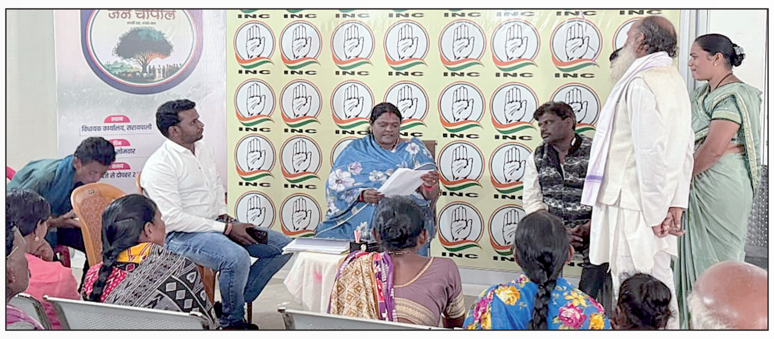

इसके साथ ही जन चौपाल में विभिन्न समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासी विधायक चातुरी नंद से मिलने पहुंचे थे।

इस अवसर पर आदिवासी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहन लाल भोई, पार्षद सुरेश भोई, विधायक प्रतिनिधि भरत मेश्राम, अरमान हुसैन, घनश्याम पटेल, परशु चौहान, दिलकिशोर प्रधान समेत कांग्रेस कार्यकर्ता विशेष रूप से मौजूद थे। विदित हो कि विधायक चातुरी नंद ने ग्रामीणों से सीधे रूबरू होने अब हर सोमवार को जन चौपाल लगा रही है जिसका बेहतर रिस्पॉन्स आमजन से मिल रहा है और बड़ी संख्या में दूर दराज के ग्रामीण विधायक से मिलकर अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु पहुंच रहे है।

खड़िया हत्याकांड का खुलासा

छड़ का पैसा मांगने पर की थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

स्वदेश संवाददाता, महासमुंद।

कोतवाली पुलिस ने घोंघीबाहरा हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महज 2 हजार रुपए न देना पडे इसके लिए आरोपी ने डंडे से प्राणघातक हमला कर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

हत्या का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडेय ने प्रेसवार्ता मे बताया कि 4 दिसंबर को ग्राम घोंघीबाहरा निवासी रामकुमार खडिया (33) का शव गांव के बाहर सड़क किनारे मिला था। पुलिस ने मर्ग कायम कर कर जांच शुरू की। मृतक के सिर पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण हत्या पाया गया। बाद पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध अपराध धारा 103 (1) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने मृतक के परिजनों व ग्रामीणों से पूछताछ शुरू की और मुखबिर को भी अलर्ट किया। मुखबिर से सूचना मिली कि गांव का ही भीखम साहू घटना स्थल में शराब पीकर बैठा था। पुलिस ने भीखम साहू (60) को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरा घटनाक्रम सामने आया। एएसपी ने बताया कि मृतक नंद कुमार खडिया ने कुछ दिन पहले अपने मकान निर्माण से बचा हुआ छड़ (सरिया) को भीखम साहू को बेचा था। जिसका 2 हजार रुपये नंदकुमार को लेना था। घटना के दिन भीखम और नंदकुमार ने ग्राम बनसिवनी जाकर शराब पी। बाद गांव वापसी के दौरान रास्ते में नंदकुमार भीखम से अपने छड़ का पैसा मांगने लगा जिस पर दोनों में विवाद हो गया। उसी समय घटनास्थल घोंघीबहरा में सड़क किनारे पड़े डंडे से भीखम ने नंदकुमार के सिर पर प्राणघातक प्रहार किया जिससे मौके पर ही नंदकुमार की मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी से हत्या में प्रयुक्त डंडा तथा घटना के समय पहनी हुई शर्ट जब्त कर लिया है।

धान काटने की बात पर भाईयों में मारपीट

महासमुंद। धान काटने की बात को लेकर दो भाइयों और उनके बेटों के बीच मारपीट हो गई। घटना ग्राम बेलमुंडी की है। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर बलौदा पुलिस ने अलग-अलग मामला दर्ज किया है। पुलिस को ग्राम बेलमुंडी के सुभाषशंकर चौधरी ने बताया कि 7 दिसंबर की सुबह करीब 6 .30 बजे घर के सामने गली में खड़ा था तभी छोटा भाई पद्माशंकर चौधरी एवं उसका पुत्र नवल किशोर चौधरी आए और तुम हमारे नाम से पांपलेट बांट रहे हो और मेंरे जमीन की धान को काटने नहीं दे रहे हो कहते हुए मारपीट की। बीच बचाव के लिए पुत्र विजय चौधरी आया तो दोनों ने उसके साथ भी मारपीट कर जान की धमकी दी। वहीं दूसरे पक्ष के पद्माशंकर चौधरी ने पुलिस को बताया कि 7 दिसंबर की सुबह करीब 6 .30 बजे उसके बड़े भैया सुभाषशंकर चौधरी और उनका पुत्र विजय कुमार चौधरी घर के सामने गली में खड़े थे, तभी उसने अपने पुत्र नवलकिशोर चौधरी के साथ जाकर कहा कि हमारे हिस्से के खेत के धान को क्यों नहीं काटनें दे रहे हो तभी सुभाषशंकर चौधरी और उनके पुत्र विजय कुमार चौधरी ने धान काटने नहीं देंगे कहते हुए गाली गलौज, मारपीट कर जान की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

बैगाओं के पट्टे के तालाब की पानी का निर्माण में उपयोग

बैगा जनजातियों के खेत की खुदाई से बनाया जा रहा सड़क

स्वदेश संवाददाता, कवर्धा

प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत मेन रोड से दुर्जनपुर बैगापारा में निर्माणाधीन सड़क की लंबाई 1.40 किलोमीटर है, जिसमें पांच पुलिया और एक रपटा बनाया जाएगा साथ ही डामरीकृत 0.90 किलोमीटर और सीमेंट कंक्रीट 0.50 किलोमीटर का बनेगा । उक्त सड़क निर्माण की अनुमानित लागत 89.58 लाख रुपए है। सड़क का पैकेज क्रमांक CG - 09- 128 (जनमन) है । उक्त जानकारी वहां पर लगे नागरिक सूचना पटल पर प्रदर्शित है। जिसमें ठेकेदार के नाम, पता, कार्य प्रारंभ तिथि सहित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी लिखा गया था लेकिन बोर्ड को किसी ने तोड़ दिया गया। दुर्जनपुर बैगा पारा की जनसंख्या 162 है । उक्त सड़क निर्माण में ठेकेदार के द्वारा सड़क निर्माण सामग्री के गुणवत्ता में समझौता करते हुए घटिया किस्म से बनाया जा रहा है।

ठेकेदार ने सड़क निर्माण के लिए मिट्टी ,मुरूम, बजरी के लिए बैगाओं के खेत और कुछ सड़क किनारे जंगल की खुदाई किया है। परसोत्तम बैगा ने बताया कि ठेकेदार ने आकर बैगाओं को कहा कि तुम लोगों के सुविधा के सड़क का निर्माण किया जा रहा है, तो तुम्हारे खेत का ही खुदाई करेंगे कहते हुए मेरे खेत से बजरी की खुदाई कर सड़क में डाल रहे है। वहीं थगलू बैगा और जंगल किनारे की खुदाई कर मुरूम निकाला गया है। ठेकेदार के द्वारा भोलेभाले बैगाओं के खेत का अवैध खुदाई कर उनसे निःशुल्क मिट्टी, मुरूम और बजरी निकाल रहा हैं, जबकि सभी सामग्री का बिल वाउचर तैयार कर राशि आहरण किया जाएगा।

सड़क ठेकेदार मछली पालन करने वाले तालाब से पानी को निकाल कर सड़क बनाने में उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीणों में इतवारी बैगा, सुंदरी बैगा, शिवकुमार बैगा ने बताया कि हम गरीब गरीब परिवार मछली पालन से जीवन यापन कर रहे हैं। मछली पालन हमारी खेती है और भरे खेती में कोई फसल को तबाह कर रहे हैं यह बहुत ही भयंकर अत्याचार और अन्याय है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1986 के तहत भी ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही होना चाहिए। इसके साथ साथ मत्स्य पालन विभाग द्वारा भी सरकारी पट्टा वाले तालाब के पानी को निकालने के विरुद्ध भी कार्यवाही किया जाना चाहिए। यदि ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होती तो सभी बैगा जनजाति परिवार जीविका संकट गहराने लगेगी।

ग्रामीणों ने लिया बाल विवाह मुक्त पंचायत बनाने का संकल्प

स्वदेश संवाददाता, कवर्धा

जिला कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देशन और महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी आनंद तिवारी के मार्गदर्शन में सत्यनारायण राठौर जिला बाल संरक्षण अधिकारी के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग, मिशन वात्सल्य और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के अंतर्गत एक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत मिनमिनिया के मैदान में ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के साथ मिलकर बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए रैली का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान मिशन वात्सल्य और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की टीम ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी दी। बताया गया कि यह अधिनियम सबसे पहले 1929 में लाया गया था, जिसके बाद 1949, 1978 और अंत में 2006 में इसमें संशोधन किए गए। इसके अनुसार, किसी लड़के या लड़की की शादी 18 वर्ष और 21 वर्ष से पहले बाल विवाह माना जाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़की की शादी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए।

इसके अलावा, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में भी बताया गया, जो एक 24 घंटे चलने वाली निशुल्क राष्ट्रीय इमरजेंसी सेवा है। यह सेवा बच्चों के लिए है जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो, जैसे कि अनाथ, बेसहारा, लावारिस, गुमशुदा बच्चे, बाल श्रम से जुड़े बच्चे और बाल विवाह से संबंधित मामलों में सहायता प्रदान की जाती है। किसी भी व्यक्ति को इस सेवा के लिए 1098 पर कॉल करने की सुविधा है ।जागरूकता रैली के माध्यम से टीम ने गांव के सभी मोहल्लों और पाड़ों में जाकर ₹बाल विवाह मुक्त भारत₹ और ₹बाल विवाह मुक्त कबीरधाम₹ का संदेश जन-जन तक पहुंचाया। रैली के अंत में शाला विकास प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, सदस्यों, ग्रामीणों और बच्चों को बाल विवाह मुक्त भारत का शपथ दिलाया गया और सभी ने ग्राम पंचायत मिनमिनिया को बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प लिया।

राज्य स्तरीय नृत्य का आयोजन युवाओं के लिए उत्कृष्ट मंच :दीपक सिंह ठाकुर

स्वदेश संवाददाता, धमतरी

राज्य स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता आजा नच के दिखा का आयोजन युथ क्लब धमतरी एवम सनातन सेना जिला धमतरी के सहयोगियों के संयुक्त समन्वय से सम्पन्न हुआ ।इस कार्यक्रम में राज्य भर से एक से बढ़कर एक कलाकारों ने हिस्सा लिया जिसका ऑडिशन 1 डिसम्बर को हुआ था, कार्यक्रम में जूनियर डांसर, ग्रुप डांसर, सीनियर डांसर और छत्तीसगढ़ के लोकनृत्य का भी शानदार प्रदर्शन किया गया ।धमतरी शहर में बहुत वर्षों के बाद इस तरह का वो भी राज्य स्तरीय आयोजन युवाओं को एक बड़ा प्लेटफार्म देने के उद्देश्य से श्री चिराग साहू, मयंक, विख्यात, भोजराज, झालेन्द्र, ओ के सिन्हा, वेद प्रकाश एवं उनके सहयोगी तथा सनातन सेना जिला धमतरी से दीपक सिंह ठाकुर, सन्दीप अग्रवाल, डाकेश्वर साहू, चित्रेश, अमित सोना, आयुष, पीयूष परख, कैलाश बख्तानी, नितेश साहू, अभिषेक शर्मा, आशीष शर्मा, एवं सहयोगी थे ।कार्यक्रम में अनेक अतिथि भी बुलाए गए थे जिसमें छत्तीसगढ़ फ़ल्मि जगत की दिया वर्मा, श्वेता शर्मा,एवम प्रखर समाचार के मालिक श्री विशेष लखोटिया, भाजपा जिला महामंत्री श्री अविनाश दुबे जी, जाना बैंक के प्रबंधक पिंकी सोनी जी, नगर निगम के श्री राजेश ठाकुर जी गुप्ता हॉस्पिटल के मालिक श्री सुमित

गुप्ता जी जैसे अनेकों अतिथियों ने महफ़लि में चार चांद लगा दिए ।सनातन सेना के दीपक सिंह ठाकुर जी ने मंच से अपने उद्बोधन में कहा कि युवा वर्ग को अपनी कला को निखारने का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्लेटफार्म मिलते रहना चाहिए फिर वो कोई भी विधा हो चाहे खेल कूद, गीत संगीत, नृत्य कला, और सभी को किसी न किसी क्षेत्र में सफलता जरूर मिलती है, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और सभी प्रतिभागियों को कहा कि सभी पूरे देश दुनिया मे अपने कला के माध्यम से माता पिता का नाम और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे।

0 **महासमुंद।** नेशनल हाइवे 353 में ग्राम साराडीह मोड़ के पास एक बाइक सवार ने दूसरी बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना करीब 3 बजे की बताई जा रही है।

RAIPUR MUNICIPAL CORPORATION
Head Office Near Gandhi Maidan Raipur (C.G.)
Ph. No. 0771-2535780,90, Fax:0771-2227395
Email:- de_rme@rediffmail.com.www.nagarnigamraipur.com

Ref: 499./RMC/NNR/ZoneNo.09/2024 Raipur, Dated 09/12/ 2024

EXPRESSIONOFINTEREST
NoticeInviting Tender(NIT)

Raipur Municipal Corporation Invites sealed tender from eligible venders for the construction and maintenance of a 6000 sq. feet box Cricket Stadium at Kachana Main Road garden under the annual license fees model for 5 years. The project includes a 10x10 kiosk, a prefabricated toilet, and advertising rights on two mini unipoles. The tender fee is Rs. 5000, and an EMD of Rs. 1,00,000 is required. Detail EOI documents can be obtained from the Executive Engineer Raipur Municipal Corporation Zone-9. The last date for Submission id. (19-12-2024) For More Information, Visit our Website (Http:// nagarnigamraipur.nic. in)

घरो से निकलने वाले सुखा और गीला कचरे को सफाई मित्र (वाहन) को देवें।

ZoneCommissioner
Zone No 09
Raipur Municipal Corporation

उप पुलिस अधीक्षक सारिका वैध के नेतृत्व में कुल 11 सदस्य होगे

गांजा की तस्करी पर नियंत्रण करने एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स गठित

स्वदेश संवाददाता, महासमुंद।

पिछले कई वर्षो से ओडिशा से गांजा की तस्करी कर छत्तीसगढ़ व अन्य प्रदेशों में इसकी सप्लाई करने के लिए जिले के मुख्य मार्ग का प्रयोग होता आया है। पुलिस अभी तक गांजे के परिवहनकर्ता को पकड़ती आई है। गांजा की तस्करी पर नियंत्रण, गांजा लाने का सोर्स प्वाइंट, परिवहन का माध्यम व जिस जगह गांजा पहुंचाया जाता है। इन सभी पर कार्रवाई करने के लिए अब एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। माह सितंबर में गठित इस टीम ने अब तक तीन प्रकरण में गांजा किसके पास से लाया गया और परिवहनकर्ता किसके पास गांजा ले जा रहा था उसका पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया है। आज यहां पत्रकारवार्ता में एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडेय ने बताया कि एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स में कुल 11 सदस्य हैं। जिनका नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक सारिका वैध करेंगी। सितंबर में गठित इस टीम ने जिले में गांजा की खरीदी, बिक्री एवं परिवहन पर रोकथाम पर अब तक 5 अंतरराज्यीय तथा 4 अन्य कुल 9 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया छह दिसंबर को खल्लारी पुलिस ने एनएच 353 पर दो युवकों से 29 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने गोकुल नगर टिकरापारा निवासी के पास गांजा ले जाना बताया। जिस पर नसीम मोहम्मद उर्फ इरफान (33) को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार 13 अक्टूबर को वाहन चेकिंग के दौरान फारेस्ट नाका सिरपुर में ठाकुरीकांपा थाना जरहागांव मुंगेली निवासी दो युवकों के कब्जे से 4 किलो गांजा कुल कीमत 80 हजार रुपए बरामद किया। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए गांजा परिवहनकर्ता ग्राम बरेला जिला मुंगेली निवासी प्रहलाद धुरी (26) के पास गांजा ले जा रहे थे और देवलगुड़ी तुसरा जिला बलांगीर ओड़िशा निवासी झकेतन राणा (34) से खरीद कर ला रहे थे। परिवहनकर्ताओं के बताए अनुसार उक्त दोनों आरोपी, जिनके पास गांजा छोड़ा जाना था और जहां से गांजा लकर आए थे को गिरफ्तार किया। एएसपी ने बताया कि 1 दिसंबर को कोमाखान पुलिस ने स्कूटी से एक व्यक्ति को 3 किलो गांजे के साथ पकड़ा पूछताछ मे पता चला कि पकड़ा गया आरोपी थोड़े-थोड़े मात्रा में गांजा एकत्र कर अपने रिश्तेदार जमुना ओड़िशा हाल पता स्टेशन चौक कुम्हारी दुर्ग निवासी हुर्षिकेस बाघ के पास छोड़ता है। जिस पर एनटी नारकोट्क्सि टॉक्स फोर्स ने हुर्षिकेस बाघ को गिरफ्तार किया।

जनवरी से अब तक गांजा के 116 मामले

एएसपी ने बताया कि जनवरी से अब तक जिले में गांजा परिवहन के 116 प्रकरण दर्ज किए गए हैं जिसमें 210 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों से 5412.53 किलो गांजा बरामद हुआ है। जिसकी कीमत 18 करोड़ 59 लाख 13 हजार 210 रुपए है। उक्त गांजे के परिवहन में प्रयुक्त 90 वाहनों को भी जब्त किया गया है। इसके अलावा नारकोट्क्सि एक्ट के तहत दो अफीम पोस्ट, 3 नशीली टैबल और एक नशीला सिरप का प्रकरण भी दर्ज किया।

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयान कंपाउंड, वेरावल, गुजरात - 362266
शाखा कार्यालयः शाखा कार्यालयः कमरा नं 401, चौथी मंजिल, कैमक स्क्वायर, 24, कैमक स्ट्रीट, कोलकाता-700016

कब्जा नोटिस परिशिष्ट IV
[सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8 (1) (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ताओं से आह्वान करते हुए दिनांक 18.09.2024 को एक मांग नोटिस जारी किया- **1. मेसर्स अशोक बिरयानी (उधारकर्ता), इसके प्रोपराइटर के माध्यम से 2. श्री कृष्ण कांत तिवारी, पुत्र श्री रामवतार तिवारी (सह-उधारकर्ता); (3) श्रीमती तृष्णा तिवारी उर्फ तृष्णा कृष्णकुमार तिवारी (सह-उधारकर्ता)** को नोटिस में उल्लिखित **राशि रु. 3,79,42,409.51/- (रुपये तीन करोड़ उनासी लाख बयालीस हजार चार सौ नौ और इक्यावन पैसे)** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर **13.09.2024** तक चुकाना होगा।

उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर राशि चुकाने में विफल रहे हैं, उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं, गारंटरों और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे/उसे प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ प्रदत्त शक्तियों के तहत वर्ष 2024 के **दिसंबर 06 वें दिन नीचे वर्णित संपत्ति** का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं, गारंटरों को विशेष रूप से और आम जनता को संपत्ति से निपटने के लिए चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड के **3,79,42,409.51 रुपये (तीन करोड़ उनासी लाख बयालीस हजार चार सौ नौ और इक्यावन पैसे)** की राशि और उस पर ब्याज के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरणः -

वह सारा टुकड़ा और पार्सल संपत्ति मौजा ग्राम रायपुरा में स्थित है, 'अग्रोहा गृह निर्माण सहकारी समिति' पी.ए. मकान. नं. 57 आर.आई. सर्किल नं. रायपुर -1 तहसील एवं जिला रायपुर, छ.ग. विक्रेता के स्वामित्व एवं कब्जे में आवासीय भूखण्ड में परिवर्तित हो गई है जिस पर पक्का मकान बना हुआ है एवं नगर निगम क्रमांक आरपीआर5685000383, 68/नया भूखण्ड क्रमांक ए-10 एवं 11 सेक्टर-2, परिवर्तित खसरा नं. 360/10, 362/43 भूखण्ड क्षेत्रफल 0.0650 हेक्टेयर अर्थात 7000 वर्ग फीट जिसमें से 6000 वर्ग फीट बेसमेंट पर, 6000 वर्ग फीट प्रथम तल एवं 6000 वर्ग फीट द्वितीय तल पर स्तम्भ सहित पक्का भवन निर्मित है जो लगभग 19 वर्ष पुराना है, शासन द्वारा निर्धारित किराया प्रतिवर्ष देय है जो मुख्य सड़क से लगा हुआ वार्ड क्रमांक 68 के अंतर्गत है नगर निगम क्रमांक 68 माधव रॉय सप्रे वार्ड गाइडलाइन अध्याय क्रमांक 06 'अग्रोहा गृह निर्माण सहकारी समिति'। जिसकी चार सीमाएं हैंः उत्तर में - मेन रोड, दक्षिण में - कॉलोनी रोड, पूर्व में - कॉलोनी रोड, पश्चिम में - नरेश गुप्ता की दुकान।

दिनांकः 06.12.2024
स्थान : कोलकाता

प्राधिकृत अधिकारी,
(आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड)